3

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकाहनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्याः- 258/2023

1 सुशील कुमार पुत्र श्री इन्द्राज राम जाति जाट निवासी गोदाराबास (फतेहगढ़) तहसील व जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

2 दलीप कुमार पुत्र श्री चेतराम जाति जाट निवासी गोदाराबास (फतेहगढ़) तहसील व जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

-:वादीगण

बनाम्

1 इन्द्राज पुत्र श्री धोंकल राम, जाति जाट, निवासी गोदाराबास, तहसील व जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

2 श्रीमती चन्द्रकला (पुत्री श्री इन्द्राज) पत्नी श्री श्रवण कुमार जाति जाट निवासी 417 नीमला, तहसील ऐलनाबाद, जिला सिरसा, हरियाणा।

3 श्रीमती संतोष (पुत्री श्री इन्द्राज) पत्नी श्री रोहिताश कुमार जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर-5, चक कान्हेवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

4 श्रीमती सरोज पत्नी श्री इन्द्राज जाति जाट निवासी गोदाराबास (फतेहगढ़) तहसील व जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

5 चेतराम पुत्र श्री धोंकल राम जाति जाट निवासी गोदारा बास (फतेहगढ़) तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

6 श्रीमती चन्द्रमुखी (पुत्री श्री चेतराम) पत्नी श्री धर्मपाल जाति जाट निवासी पण्डितावाली, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

7 रोहिताश कुमार गोदारा पुत्र श्री चेतराम गोदारा जाति जाट निवासी गोदाराबास (फतेहगढ़), तहसील व जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

8 श्रीमती मोनिका (पुत्री श्री चेतराम) पत्नी श्री अमर सिहं जाति जाट निवासी अनूपगढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

9 श्रीमती शकुन्तला (पुत्री श्री चेतराम) पत्नी श्री रामकुमार जाति जाट निवासी 3-ई, सहारणावाली, तहसील व जिला श्रीगगानगर, राजस्थान।

10 श्रीमती स्नेहलता (पुत्री श्री चेतराम) पत्नी श्री सुरेश कुमार जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

11 श्रीमती विद्यादेवी पत्नी श्री चेतराम, जाति जाट, निवासी गोदारा बास (फतेहगढ़) तहसील व जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

12 राजस्थान स्टेट जरिये तहसीदार (राजस्व) हनुमानगढ़, राजस्थान।

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1 श्री श्योप्रकाश जाखड़ अधिवक्ता - वादीगण

2 श्री मोहनलाल सिलू अधिवक्ता - प्रतिवादी सं. 1 ता 11

3 राजपैरोकार - प्रतिवादी सं. 12

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ

-:निर्णयः-

दिनांक 15/09/2025

4

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पत्र व्यवहार हेतु सिविल प्रक्रियां सहिता के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत पता शीर्षक वादपत्र में वर्णित अनुसार है।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के परस्पर सम्बन्धों को दर्शाते हुये वादपत्र के प्रयोजन की हद तक सजरा खानदान वाद पत्र में अंकित किया है।

यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 5 इन्द्राज-चेतराम पिसरान धोंकल राम के नाम निम्नलिखित विवरण की भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है:-

(A) चक 32 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के संयुक्त संख्या-11/43 सम्वत 2075-2078 पत्थर नम्बर 97/314 मुरबा नम्बर 9 किला नम्बर 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 25/1, 25/2,पत्थरनम्बर 98/313 मुरबा नम्बर 2 किला नम्बर 11/1, 11/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2 कुल तादादी 2.024 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या-1 इन्द्राज पुत्र धोंकल राम के नाम 1/3 हिस्सा अर्थात 0. 6746 हैक्टेयर व प्रतिवादी संख्या-5 चेतराम पुत्र श्री धोंकलराम के नाम 1/3 हिस्सा अर्थात 0.6746 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 32 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या-11/43 संलग्न है।

(B) चक 32 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या-32/29 सम्वत 2075-2078 पत्थर नम्बर 97/314 मुरबा नम्बर 9 किला नम्बर 17, 24 कुल तादादी 0.506 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 5 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 32 एस.एस.डब्ल्यू.. के खाता संख्या-32/29 संलग्न है।

(C) चक 32 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या-10/7 सम्वत 2075-2078 पत्थर नम्बर 97/313 मुरबा नम्बर 3 किला नम्बर 16/1, 16/2, 25/1, 25/2 कुल तादादी 0.506 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्वं अभिलेख में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 32 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या-10/7 संलग्न है।

(D) चक 12 एस.टी.जी. तहसील हनुमानगढ़ के संयुक्त संख्या-6/7 सम्वत 2076-2079 पत्थर नम्बर 93/297 मुरबा नम्बर 48 किला नम्बर 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 7 ता 11, 12/1, 12/2, 13 ता 18 कुल तादादी 3.795 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या-1 इन्द्राज के नाम 757/759 हिस्सा यानि 3.785 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 12 एस.टी.जी. के खाता संख्या-6/7 संलग्न है।

(E) चक 12 एस.टी.जी. तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 35/34 सम्वत 2076-2079 पत्थर नम्बर 92/298 मुरबा नम्बर 52 किला नम्बर 5/1, 5/2, 6, पत्थर नम्बर 93/297 मुरबा नम्बर 48 किला नम्बर 19 ता 25, पत्थर नम्बर 93/298 मुरबा नम्बर 53 किला नम्बर 1 ता 5, 8 ता 10 तादादी 4.301 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या-5 चेतराम के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 12 एस.टी.जी. खाता

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ

संख्या 35/34 संलग्न है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या-3 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक सम्पति होने से सहदायिक सम्पति थी तथा उक्त कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 3 व 6 से 10 का प्रतिवादीगण संख्या-1 व 5 के साथ साथ जन्मतः हक व अधिकार है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त वर्णित भूमि का घराघरू बंट्वारा हो चुका है। मुताबिक बंट्वारा चक 12 एस.टी.जी. तहसील हनुमानगढ़ के संयुक्त संख्या-6/7 सम्वत 2076-2079 कुल तादादी 3.795 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्राज के नाम 3.785 हैक्टेयर में से 2/3 हिस्सा वादी संख्या 1 सुशील कुमार व 1/3 हिस्सा, प्रतिवादिया संख्या-4 सरोज हिस्सा की घोषणा करवाने के अधिकारी व दावेदार है तथा उक्त खाता में प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ने अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादिया संख्या 4 के पक्ष में तर्क कर दिया है तथा वे प्रश्नगत भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते।

इसी प्रकार चक 12 एस.टी.जी. तहसील हनुमानगढ़ के संयुक्त संख्या-32/29 सम्वत 2076-2079 कुल तादादी 4.301 हैक्टेयर में से वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या-7 को 3.795 हैक्टेयर के बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादिया संख्या 11 विद्यादेवी को 0.506 हैक्टेयर के खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी व दावेदार है तथा प्रतिवादीगण संख्या 6, 8, 9, 10 ने अपना हक व हिस्सा वादीगण संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 07 के पक्ष में मौखिक रूप से तर्क कर दिया है। चक 12 एस.टी.जी. तहसील हनुमानगढ़ के संयुक्त संख्या-32/29 से प्रतिवादी संख्या 5 चेतराम का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी व दावेदार है। उक्तानुसार ही राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करवाने के अधिकारी व दावेदार है।

चक 32 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के संयुक्त संख्या-11/43 सम्वत 2075-2078 में कुल तादादी 2.024 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या-1 इन्द्राज पुत्र धोंकल राम के नाम 1/3 हिस्सा अर्थात .6746 हैक्टेयर में से अपने भाई प्रतिवादी संख्या 5 चेतराम पुत्र श्री धोंकल राम को .084 हैक्टेयर भूमि मौखिक रूप से तर्क कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्राज का शेष हिस्सा .5906 हेक्टेयर यथावत रखने में सहमत है। इसी प्रकार चेतराम के नाम उक्त खाता में उसके नाम दर्ज हिस्सा 0.6746 हैक्टेयर यथावत रखने में सहमत है। इसी प्रकार इसी चक 32 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 32/29 में प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्राज व प्रतिवादी संख्या 5 चेतराम का हिस्सा यथावत रखने में सहमत है।

इसी प्रकार चक 12 एस.टी.जी. तहसील हनुमानगढ़ के संयुक्त संख्या-32/29 सम्वत 2076-2079 कुल तादादी 4.301 हैक्टेयर में से वादीगण संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 07 को 3.795 हैक्टेयर के बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादिया संख्या 11 विद्यादेवी को 0.506 हैक्टेयर के खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी व दावेदार है तथा प्रतिवादीगण संख्या 6, 8, 9, 10 ने अपना हक व हिस्सा वादीगण संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 07 के पक्ष में मौखिक रूप से तर्क कर दिया है। चक 12 एस.टी.जी. तहसील हनुमानगढ़ के संयुक्त संख्या-32/29 से प्रतिवादी संख्या 5 चेतराम का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी व दावेदार है। उक्तानुसार ही राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करवाने के अधिकारी व दावेदार है।

यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 5 प्रश्नगत भूमि स्वयं के नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर पूर्व में हो चुके घराघरूबंट्वारा के विपरीत आचरण कर रहा है। जिससे वादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। प्रतिवादीगण संख्या-1 व 5 को यह भलीभांति पता है कि प्रश्नगत कृषि भूमि बाबत पूर्व में ही घराघरू बंट्वारा हो चुका है जिसके मुताबिक वह काबिज चला आ रहा है। प्रश्नगत भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 5 के नाम दर्ज रहने से वादीगण के अधिकारों पर धुंध छा गई है तथा वादीगण के साम्पितक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा हैं। इन परिस्थितियों में वादीगण

6

इस आशय की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी व दावेदार है कि मुताबिक बंट्वारा चक 12 एस.टी.जी. तहसील हनुमानगढ़ के संयुक्त संख्या 6/7 सम्वत 2076-2079 कुल तादादी 3.795, हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्राज के नाम 3.785 हैक्टेयर में से 2/3 हिस्सा वादी संख्या 1 सुशील कुमार व 1/3 हिस्सा प्रतिवादिया संख्या 4 सरोज हिस्सा की घोषणा करवाने के अधिकारी व दावेदार है तथा उक्त खाता में प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ने अपना हक व हिस्सा वादी संख्या 01 व प्रतिवादिया संख्या 4 के पक्ष में तर्क कर दिया है तथा वे प्रश्नगत भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते।

चक 32 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के संयुक्त संख्या 11/43 सम्वत 2075-2078 में कुल तादादी 2.024 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्राज पुत्र धोंकल राम के नाम 1/3 हिस्सा अर्थात .6746 हैक्टेयर में से अपने भाई प्रतिवादी संख्या 5 चेतराम पुत्र श्री धोंकल राम को .084 हैक्टेयर भूमि मौखिक रूप से तर्क कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्राज का शेष हिस्सा .5906 हेक्टेयर यथावत रखने में सहमत है। इसी प्रकार चेतराम के नाम उक्त खाता में उसके नाम दर्ज हिस्सा 0.6746 हैक्टेयर यथावत रखने में सहमत है। इसी प्रकार इसी चक 32 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 9 में प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्राज व प्रतिवादी संख्या 5 चेतराम का हिस्सा यथावत रखने में सहमत है।

यह कि वादीगण ने अर्सा एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादीगण से आग्रह किया कि वे वादपत्र की चरण संख्या-6 के मुताबिक खातेदार होना स्वीकार कर लेवे तो इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावेः-

(क) कि घोषणा फरमाई जावे कि मुताबिक बंटवारा चक 12 एस.टी.जी. तहसील हनुमानगढ़ के संयुक्त संख्या-6/7 सम्वत 2076-2079 कुल तादादी 3.795 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या-1 इन्द्राज के नाम 3.785 हैक्टेयर में से 2/3 हिस्सा वादी संख्या 1 सुशील कुमार, व 1/3 हिस्सा प्रतिवादिया संख्या 4 श्रीमती सरोज हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा उक्त चक 12 एस.टी.जी. के खाता संख्या 6/7 प्रतिवादी संख्या 01 इन्द्राज का नाम कलमजन करने के आदेश फरमाये जावे तथा चक 32 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के संयुक्त संख्या-11/43 सम्वत 2075-2078 में कुल तादादी 2.024 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या-1 इन्द्राज पुत्र श्री धोंकलराम का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 चेतराम पुत्र श्री धोंकलराम का 1/3 हिस्सा दोनों का कुल 2/3 हिस्सा में से प्रतिवादी संख्या -1 इन्द्राज पुत्र श्री धोंकलराम 0.5906 हैक्टेयर का एंव प्रतिवादी संख्या 5 चेतराम पुत्र श्री धोंकल राम 0.75873 हैक्टेयर का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है व इसी चक 32 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 10 में प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्राज का नाम यथावत रखने के आदेश करवाने के अधिकारी व दावेदार हैं तथा इसी प्रकार चक 32 एस.एस.डब्ल्यू. के खाता संख्या 32/29 में प्रतिवादी संख्या 5 चेतराम का नाम यथावत रखवाने के अधिकारी व दावेदार हैं।

इसी प्रकार चक 12 एस.टी.जी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या-35/34 सम्वत 2076-2079 कुल तादादी 4.301 हैक्टेयर में से वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 07 को 3.795 हैक्टेयर के बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादिया संख्या 11 विद्यादेवी को 0.506 हैक्टेयर के खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी व दावेदार है तथा चक 12 एस.टी.जी. तहसील हनुमानगढ़ के संयुक्त संख्या 35/34 से प्रतिवादी संख्या 5 चेतराम का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी व दावेदार है।

7

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 11 की ओर से अधिवक्ता मोहन लाल सिलू उपस्थित व वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 ने दावा में राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिन्होने दौराने बहस निवेदन किया कि वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। उभय पक्ष द्वारा दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:<u>क्रियात्मक आदेशः</u>-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है किः- चक 12 एस.टी.जी, के संयुक्त संख्या 6/7 सम्वत 2076-2079 कुल तादादी 3.795 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्राज के नाम 3.785 हैक्टेयर में से 2/3 हिस्सा वादी संख्या 1 सुशील कुमार व 1/3 हिस्सा प्रतिवादिया संख्या 4 श्रीमती सरोज हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा उक्त चक 12 एस.टी.जी. के खाता संख्या 6/7 प्रतिवादी संख्या 01 इन्द्राज का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते हैं तथा चक 32 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ के संयुक्त संख्या 11/43 सम्वत 2075-2078 में कुल तादादी 2.024 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्राज पुत्र श्री धोंकलराम का 1/3 अर्थात .6746 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 5 चेतराम पुत्र श्री धोंकलराम का .084 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त चक 32 एसएसडबलयू खाता सं. 11/43 में शेष तादादी 0.5906 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्राज पुत्र श्री धोंकलराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व इसी चक 32 एसएस्उबलयू खाता सं. 10 में प्रतिवादी सं. 1 इन्द्राज का नाम यथावत रखा जाता है। व इसी चक के खाता सं. 32/29 में प्रतिवादी सं. 5 का नाम यथावत रखा जाता है। इसी प्रकार चक 12 एस.टी.जी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 35/34 सम्वत 2076-2079 कुल तादादी 4.301 हैक्टेयर में से वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 07 को 3.795 हैक्टेयर के बहिस्सा बराबर तथा प्रतिवादिया संख्या 11 विद्यादेवी को 0.506 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा चक 12 एस.टी.जी. तहसील हनुमानगढ़ के संयुक्त संख्या 35/34 से प्रतिवादी संख्या 5 चेतराम का नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ